दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

—धनजी चौरसिया

केंद्र सरकार द्वारा बिजली और रोजगार पर विशेष जोर दिया जा रहा है। इसके पीछे वाजिब कारण हैं। लघु एवं सीमांत किसान हो या उद्योग, बिना बिजली के किसी का कल्याण नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ, जब तक मेहनती हाथ हुनरमंद नहीं होंगे तब तक न तो मेहनत का वाजिब मूल्य मिलेगा और न ही उत्पादन की गुणवत्ता बेहतर होगी। इस वजह से केंद्र सरकार की ओर से पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर शुरू की गई दो योजनाओं के जरिए पूरे देश में बिजली उपलब्ध कराने और मेहनती हाथों को हुनरमंद बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

केंद्र सरकार की ओर से इस साल दो प्रमुख योजनाएं शुरू की गई हैं, जिनकी बदौलत भविष्य में ग्रामीण भारत तरक्की करता नजर आएगा। भारत के गांवों में दो बड़ी समस्याएं हैं। एक तो बिजली की और दूसरे कौशल विकास की। इन दोनों चुनौतियों के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर दो योजनाएं शुरू की हैं। एक का नाम रखा है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इसके जरिए पूरे देश के गांवों में ज्योति फैलाने की कोशिश की जा रही है। दूसरी योजना है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना। इसके जरिए मेहनती हाथों को हुनरमंद बनाया जाएगा। इन दोनों योजनाओं में तमाम ऐसे प्रावधान किए गए हैं, जिनके जरिए भारत के गांवों में रोजगार के साधन विकसित होंगे। जब पर्याप्त बिजली मिलेगी तो लघु एवं कुटीर उद्योगों को ताकत मिलेगी और इन उद्योगों को चलाने का जिम्मा जब प्रशिक्षित युवाओं के हाथ में होगा तो उनकी सफलता पर किसी तरह का संशय करने की जरूरत ही खत्म हो जाएगी। विश्व बैंक के द्वारा इस योजना के मूल्यांकन के अनुसार गुजरात इस योजना का बेहतर और शानदार उदाहरण है। गुजरात सरकार ने बिजली चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाने और जारी दिशा–निर्देशों के पालनों से इंकार करने वाले किसानों के लिए आदर्श व्यवस्था तैयार की। गुजरात के लोड प्रबंधन सुधारों से कुल मिलाकर, किसानों के बीच बिजली और भूजल दोनों की ही मांग में कमी लाने का प्रयास किया गया। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि गुजरात मॉडल का असर पूरे देश में दिखेगा।

दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना

गरीब परिवार के युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित करने और उत्पादक क्षमता बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार की ओर से दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (डीडीयू–जीकेवाई) शुरू की गई है। इस योजना के जरिए निर्धन और सीमांत लोगों को लाभकारी योजनाओं तक पहुंचने के लिए सक्षम बनाया जाएगा। ग्रामीण गरीबों के लिए मांग आधारित निशुल्क कौशल प्रशिक्षण की व्यवस्था की जाएगी। इस प्रशिक्षण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रशिक्षण प्राप्त

करने वालों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति वर्ग के 50 फीसदी हो। इसके साथ ही अल्पसंख्यक वर्ग के 15 प्रतिशत, महिला वर्ग के 33 प्रतिशत लोगों को अनिवार्य रूप से इसमें शामिल किया जाएगा।

केंद्र सरकार ने इस वर्ष के बजट में ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के लिए 1500 करोड़ रुपये का बजट तैयार किया है जिससे छात्रों को रोजगार के अवसरों का लाभ उठाने में सहूलियत हो। इस योजना में छात्रों को वित्तीय मदद उनके बैंक खातों में सीधे उपलब्ध कराई जाएगी। सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि कोई भी छात्र पैसे के कारण उच्च शिक्षा से वंचित नहीं रहने पाए। इस योजना का मूल उद्देश्य यह होगा कि प्रशिक्षण लेकर युवा जीविकोपार्जन से जुड़े। योजना के तहत यह भी प्रयास किया जाएगा कि प्रशिक्षण प्राप्त युवा स्थानीय रूप से रोजगार प्राप्त करें। साथ ही, विदेश में रोजगार प्रदान करने के उद्देश्य से पथ–प्रदर्शन भी किया जाएगा। नियोजन–पश्चात सहायता, प्रवास सहायता और पूर्व–छात्र नेटवर्क तैयार करना भी योजना का उद्देश्य होगा। योजना की सबसे खास बात यह है कि प्रशिक्षण प्राप्त कम से कम 75 प्रतिशत युवाओं को रोजगार की गारंटी दी जाएगी। इस पूरे कार्यक्रम में जम्मू–कश्मीर, पूर्वोत्तर क्षेत्र और वामपंथी उग्रवाद से प्रभावित 27 जिलों में विशेष अभियान चलाया जाएगा। योजना में कौशल प्रदान करने वाली परियोजनाओं से जुड़े रोजगार के लिए वित्तपोषण सहायता उपलब्ध कराई जाती है, जिससे प्रति व्यक्ति 25,696 रुपये से लेकर एक लाख रुपये तक वित्तपोषण सहायता के साथ बाजार की मांग का समाधान किया जाता है। इसके माध्यम से 576 घंटे (तीन माह) से लेकर 2304 घंटे (बारह माह) की अवधि वाली प्रशिक्षण परियोजनाओं के लिए वित्तपोषण किया जाता है। इसमें प्रशिक्षण के खर्च, रहने और खाने–पीने, परिवहन खर्च, नियोजन पश्चात सहायता खर्च, आजीविका उन्नयन और स्थायी रोजगार सहायता संबंधी खर्च में सहायता देना शामिल हैं। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के माध्यम से खुदरा, आतिथ्य, स्वास्थ्य, निर्माण, स्वचालित, चमड़ा, बिजली, प्लंबिंग, रत्न और आभूषण सहित करीब 250 से अधिक ट्रेडों में प्रशिक्षण दिया जा सकता है।

दुनिया में भारत सबसे युवा देश है और इसकी 54 प्रतिशत आबादी की आयु 18 से 25 वर्ष के बीच है। सरकार का मकसद इन युवाओं को शिक्षा और रोजगार उपलबध कराना है। इसके लिए स्किल इंडिया अभियान को मेक इन इंडिया कार्यक्रम से जोड़ा जाएगा। हालांकि देश में फिलहाल केवल पांच प्रतिशत कार्यबल को प्रशिक्षण प्राप्त है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय स्किल मिशन को विभिन्न मंत्रालयों और विभिन्न क्षेत्रों की 31 कौशल विकास परिषदों से जोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण भारत के न सिर्फ विकास पर जोर दिया जा रहा है बल्कि ग्रामीण इलाके के युवाओं को स्वावलंबी बनाने की दिशा में भी प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षित करके उन्हें रोजगार मुहैया कराया जाएगा। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में 15 वर्ष से लेकर 35 वर्ष की उम्र के बीच के 5.50 करोड़ संभावित कामगार हैं। इससे भारत के लिए अपनी अतिरिक्त जनसंख्या को एक जनसांख्यिकी लाभांश के रूप में परिणत करने का एक ऐतिहासिक अवसर सामने आ रहा है। वहीं यदि हम राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की अध्ययन रिपोर्ट देखें तो भी हमारे देश में गुणवत्तापरक कौशल की कमी बनी हुई है।

रिपोर्ट के मुताबिक औपचारिक व्यावसायिक शिक्षा का अभाव, गुणवत्ता का बढ़ता अंतर, समय से पहले स्कूल छोड़ने अर्थात ड्रापआउट के मामलों, अपर्याप्त कौशल विकास प्रशिक्षण क्षमता और कौशल विकास को लेकर नकारात्मक धारणाओं और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में उद्योग के लिए काम करने लायक कौशल की कमी बनी हुई है। वर्ष 2014–15 की आर्थिक समीक्षा में भी दो चुनौतियों का जिक्र किया गया है। इसमें एक कौशल विकास करना है तो दूसरा, रोजगार प्रदान करना। समीक्षा में श्रम ब्यूरो की रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में कुशल कार्यबल का अनुपात तकरीबन दो प्रतिशत है जो शेष विकासशील देशों के मुकाबले काफी कम है। देश में 15 वर्ष या इससे अधिक आयु के सिर्फ 6.8 प्रतिशत लोगों को ही व्यावसायिक प्रशिक्षण प्राप्त है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के अध्ययन में कहा गया है कि 2013–14 में गैर–कृषि क्षेत्रों में 12 करोड़ कार्यकुशल लोगों की जरूरत थी। उल्लेखनीय है कि एनएसएसओ के 68वें दौर अर्थात 2011–12 के आंकड़ों के मुताबिक विनिर्माण क्षेत्र में रोजगार वृद्धि 2011–12 में बढ़कर 12.6 प्रतिशत हो गई जो 2009–10 के दौरान 11 प्रतिशत थी। यह इसलिए महत्वपूर्ण है कि राष्ट्रीय विनिर्माण नीति 2011 से 2022 के बीच 10 करोड़ रोजगार के सृजन का लक्ष्य रखा है।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का मानना है कि गांवों के विकास के लिए ग्रामीण इलाके में शहरों की तर्ज पर बिजली उपलब्ध करानी होगी। जब तक ग्रामीण इलाके को 24 घंटे बिजली नहीं मिलेगी तब तक वहां विकास को गति नहीं मिल सकती है। इसी अवधारणा को ध्यान में रखकर दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना शुरू की गई है। इस योजना की निगरानी के लिए ऊर्जा सचिव की अध्यक्षता में एक निगरानी समिति बनाई गई है। यह समिति परियोजनाओं को स्वीकृति देगी तथा इनको लागू किए

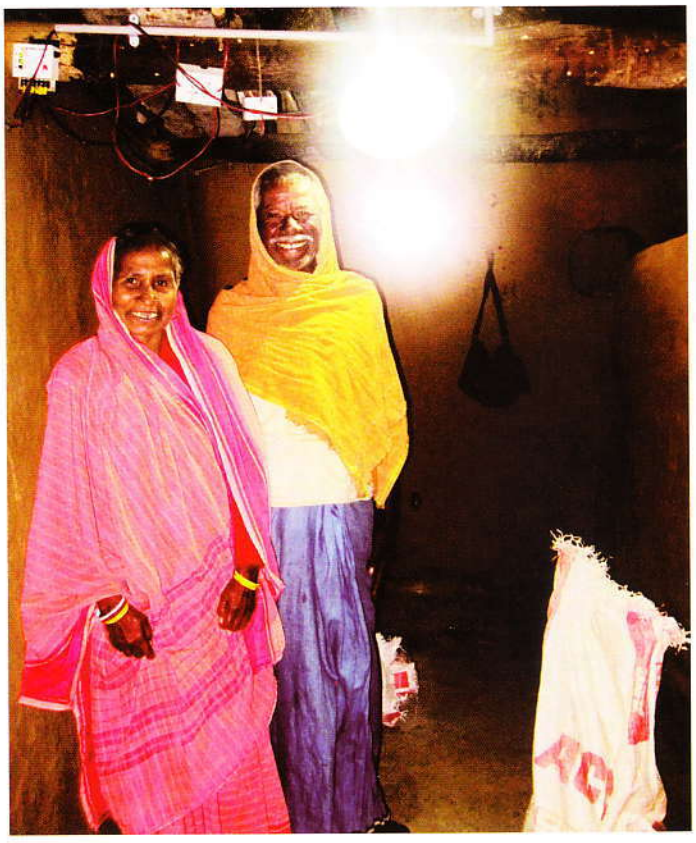

जाने की निगरानी करेगी। इस योजना के तहत अनुशंसित दिशा–निर्देशों के अनुरूप योजना का क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए बिजली मंत्रालय, राज्य सरकार और डिस्कॉम के बीच एक उपयुक्त त्रिपक्षीय समझौता किया जाएगा, जिसमें पॉवर फाइनेंस कार्पोरेशन एक नोडल एजेंसी होगी। राज्य बिजली विभागों के मामलों में द्विपक्षीय समझौते होंगे।

इसके तहत ग्रामीण क्षेत्रों में घरेलू कनेक्शन और कृषि कार्य के लिए होने वाले कनेक्शन को अलग–अलग फीडर से आपूर्ति देने की व्यवस्था बनाई जाएगी। इस योजना के तहत ग्रामीण इलाके में भी शहरों की तर्ज पर बिजली के मीटर लगाए जाएंगे। यानी जो जितनी खपत करेगा उसी हिसाब से बिजली का बिल अदा करेगा। क्योंकि ग्रामीण इलाके में एक बड़ी समस्या बिजली खपत की है। कुछ लोग दिनभर बिजली का दोहन करते हैं और कुछ लोग चंद घंटे। इसके बाद भी सभी को बराबर बिजली का बिल अदा करना पड़ता है। इस समस्या के समाधान के लिए ग्रामीण इलाके में भी बिजली के मीटर लगाने की योजना बनाई गई है। इससे ग्रामीण घरों को तथा कृषि उपभोक्ताओं को 24 घंटे बिजली मुहैया कराने में मदद मिलेगी। इस योजना की खास बात यह है कि पहले से चल रही राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना को भी इसमें समाहित कर दिया गया है। इस योजना के लिए कुल 43 हजार 33 करोड़ रुपये के निवेश की योजना तैयार की गई है। इसमें केंद्र 33 हजार चार सौ 53 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके बाद निजी डिस्कॉम एवं राज्य बिजली विभागों समेत सभी डिस्कॉम इस योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे। इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए नोडल एजेंसी ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) होगी। योजना के अनुदान का हिस्सा विशिष्ट वर्ग राज्यों के अतिरिक्त अन्य राज्यों के लिए 60 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 75 प्रतिशत तक) और विशिष्ट वर्ग राज्यों के लिए 85 फीसदी (अनुशंसित उपलब्धि अर्जित करने पर 90 प्रतिशत तक) तक है। विशिष्ट वर्ग में जम्मू–कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड एवं सिक्किम समेत पूर्वोत्तर के सभी राज्य शामिल हैं।

अब हम भारत के गांवों में बिजली व्यवस्था का हाल देखें तो स्थिति चिंताजनक है। हालात तब और बदतर हो जाते हैं जब देश के लाखों किसान अपने खेतों की सिंचाई के लिए पंप द्वारा भूजल का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन बिजली नहीं मिलने के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते। इस समस्या से निबटने के लिए गुजरात मॉडल को पूरे देश में लागू किया जा रहा है जिसके जरिए गांवों और लघु ग्रामीण उद्योगों को अधिक बिजली की आपूर्ति की गई।

ऐसी स्थिति में इन दोनों योजनाओं के लागू होने का असर जल्द ही पूरे देश में दिखाई पड़ेगा। जब अधिक बिजली बचत होगी तो निश्चित तौर पर हर भारतीय को उसकी जरूरत के हिसाब से पर्याप्त बिजली मिल सकेगी। जब बिजली पर्याप्त मिलेगी तो खेतों को सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिलेगा और कारखानों में उत्पादन बढ़ेगा। दूसरी तरफ मेहनती हाथों का कौशल विकास होने से वे अपनी मेहनत की उचित कीमत हासिल कर सकेंगे। इसमें कोई दो राय नहीं कि जब तक हाथों को हुनरमंद नहीं बनाया जाता है तब तक मेहनत का वाजिब मूल्य नहीं मिलता है। इन दोनों योजनाओं के सफलतापूर्वक संचालन का असर जल्द ही दिखाई पड़ेगा और समूचे भारत में तरक्की की नई राह भी खुलेगी। कारखानों का उत्पादन बढ़ेगा। खेत से अनाज का उत्पादन बढ़ेगा तो हर तरफ खुशहाली ही खुशहाली नजर आएगी। इन दोनों योजनाओं कीं बदौलत यह कहना गलत नहीं होगा कि जल्द ही भारत के गांव विकासशील भारत के गांव नहीं बल्कि विकसित भारत के गांव बन जाएंगे।

स्रोत

- भारत सरकार का पत्र सूचना कार्यालय।
- अमर उजाला सहित विभिन्न समाचार पत्रों में प्रकाशित रिपोर्ट।
- ग्रामीण विकास मंत्रालय की ओर से जारी रिपोर्ट।

(लेखक विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़े हैं तथा विकासात्मक मुद्दों पर नियमित लेखकीय कार्य में सक्रिय)

ई–मेल : dhanjichaurasiya4@gmail.com